न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस , कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

प्रकरण संख्या :– 52/2019 (आर0सी0एम0एस0 नं0 2019/00091)

व उनवानी प्रकरण :–

1. देवी सिहं पुत्र मुरली सिहं जाति ठाकुर निवासी परसुआपुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर ———————————————— .प्रार्थी ।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग जिला कलैक्ट्रैट धौलपुर————————————————अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञा पत्र बहाल/ नवीनीकरण अन्तर्गत धारा 54 आयुध नियम 1962

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से :– श्री कान्ता प्रसाद शर्मा अभिभाषक ।
2. अप्रार्थी की ओर से :–सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी।

निर्णय दिनांक 13.2.2020

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री देवी सिहं पुत्र श्री मुरली सिहं जाति ठाकुर निवासी परसुरामपुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 18/68 जो कि दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकृत था, को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 26.12.2016 को प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी ने प्रार्थी के आवेदन पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने प्रार्थी के विरूद्ध दायर मुकदमा नम्बर 158/2005 का हवाला देते हुए अनुज्ञा पत्र को बहाल न किये जाने की अनुशंषा की जिसके आधार पर अप्रार्थी ने निर्णय दिनांक 3.7.2017 से प्रार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया । प्रार्थी द्वारा निर्णय दिनांक 3.7.2017 की अपील माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर सम्भाग भरतपुर में दायर की। माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर सम्भाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 6.12.2017 के द्वारा अप्रार्थी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.7.2017 को निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः विधिवत सुनवाई हेतु इस

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में पुनः सुनवाई की तथा पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त की । सुनवाई एवं जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 30.7.2018 को प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 18/68 निरस्त किया गया। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.7.2018 के विरूद्ध प्रार्थी ने माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर सम्भाग भरतपुर में अपील दायर की। माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर सम्भाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 18.9.2019 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.7.2018 को अपास्त करते हुए प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया कि प्रार्थी की समुचित सुनवाई के साथ साथ प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से रूबरू होतें हुए आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शान्ती व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें ।

माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर के आदेश दिनांक 18.9.2019 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से श्री रामनिवास परमार अभिभाषक उपस्थित हुऐ। अप्रार्थी की ओर से सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी उपस्थित हुई। प्रकरण में अनुज्ञा पत्र बहाली के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा पत्र दिनांक 9.12.2019 के जरिये जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.1.2020 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में थानाधिकारी थाना राजाखेडा मार्फत वृत्ताधिकारी वृत्त मनियॉ से जांच कराई गई। जॉच रिपोर्ट में अकिंत किया कि प्रार्थी द्वारा शस्त्र का इस अवधि में कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। मुताविक रिकोर्ड प्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 158/2005 धारा 147, 148, 149, 323, 325 आई. पी. सी. में दर्ज हुआ । जिसमें बाद अनुसंधान नतीजा चार्जशीट नम्बर 123 दिनांक 22.10.2005 में किता की जाकर पेश न्यायालय की गई जिसमें माननीय न्यायालय अपर न्यायाधीश फास्ट ट्रेक नम्बर 2 के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.6.2007 में प्रार्थी को धारा 148 आई पी सी के अन्तर्गत दोषी घोषित किया तथा धारा 323, 325 के आरोप से बरूये राजीनामा बरी किया जा चुका है। शस्त्र का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है। शस्त्र वैध अवधि समाप्त होने पर जमा कर लिया गया है। प्रार्थी उक्त प्रकरण में राजीनामा के आधार पर बरी किया गया है। अतः प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल/नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा नहीं की जाती है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 18/68 को नवीनीकरण कराये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 26.12.2016 को अप्रार्थी के

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में अकिंत किया कि प्रार्थी के विरूद्ध मुताविक रिकोर्ड मुकदमा नम्बर 158/2005 धारा 147, 148, 149, 323, 325 में पंजीबद्ध हुआ जिसमें चार्जशीट नम्बर 123 दिनांक 2.10.2005 को किता की जाकर न्यायालय में पेश की गई। माननीय न्यायालय अपर सैंशन न्यायाधीश फास्ट ट्रेक नम्बर 2 ने अपने निर्णय दिनांक 4.6.2007 जरिये राजीनामा बरी किया है। शस्त्र. वैध अवधि समाप्त होने के पश्चात् थाना मनियॉ पर जमा किया जा चुका है। प्रार्थी ने वर्ष 2007 से वर्ष 2015 तक शस्त्र का कोई दुरूपयोग नहीं किया है। इस तथ्य को जिला पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है। प्रार्थी के विरूद्ध वर्ष 2005 के पश्चात् कोई अभियोग दर्ज नहीं हुआ है। इस तथ्य की पुष्टि पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट से होती है। **इस सम्बन्ध में 2016 (3) सी.एल.आर. (राज.) 1292 की नजीर पेश की जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि " अधिनियिम, 1959–धारा 17(3)(बी) –चार मामलों के रजिस्ट्रेशन के आधार पर शस्त्र लाईसैन्स निरस्त किया – राजीनामा के जरिये तीन मामले निर्णित हुए और एक मामले में शास्ति आरोपित की– लाईसेन्स निरस्त करने की दिनांक को कोई मामला लम्बित नहीं था– किसी पहलू पर लाईसेन्स के बारम्बार नवीनीकरण पर विचार किये बिना मशीनी तौर पर आदेश पारित किया –निर्णीत आदेश अपास्त किये तथा मामले पर पुनः विचार करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट को दिया" विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपने समर्थन में 2005 (2)सी.एल.आर.(राज.) 907 की नजीर पेश की जिसमें यह प्रतिपादित है कि " अधिनियम 1959–धारा–17 –आयुध लाईसेन्स का रद्ददकरण –जिला मजिस्ट्रैट ने अपीलार्थी के आयुध लाईसेन्स को इस आधार पर रदद किया कि उसके विरूद्ध कुछ आपराधिक मामले लम्बित है– जिला मजिस्ट्रेट ने यह इंगित नहीं किया कि लोक शांन्ति की सुरक्षा बनाये रखने के लिए किस प्रकार अपीलार्थी के आयुध लाईसेन्स को रदद करना जरूरी था —निर्णित, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थी के लाईसेन्स को रदद करना न्यायोचित नहीं था।"** उक्त प्रकरणों के परिपेक्ष्य में नवीनीकरण नहीं किये जाने की अभिशंषा किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थी का चाल चलन अच्छा है। शस्त्र निरस्तीकरण आदेश के पश्चात् पुलिस थाना मनियॉ में जमा है। प्रार्थी एक सीधा सादा व्यक्ति है। प्रार्थी को जानमाल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है। शस्त्र थाने में जमा है जिसके खराब होने की आशंका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 18/68 को नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान तर्क किया कि प्रार्थी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरूद्ध थाना मनियॉ में मुकदमा नम्बर 158/2005 दर्ज हुआ जिसमें धारा 148 आई पी सी में दोषी घोषित किया गया है। शेष धाराओं में राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थी एक झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है, जो कभी भी हथियार का दुरूपयोग कर कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति भंग कर सकता हैं। ऐसे हालातों के मद्दे नजर

(आर0 के0 जोयसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

लोकशान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है, जो कतही गलत नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंसा की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की वहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन किया गया । प्रार्थी ने अपना शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंसा की है। लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शस्त्र का दुरूपयोग नहीं हुआ है। प्रार्थी के विरूद्ध वर्तमान में थाने पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। प्रार्थी का शस्त्र थाने में जमा है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के विरूद्ध एक मुकदमा नम्बर 158/2005 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 325 आई. पी. सी में दर्ज होना बताया है। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा जरिये राजीनामा दिनांक 4.6.2007 को निर्णित किया जा चुका है। वर्ष 2007 के पश्चात् प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र वर्ष 2015 तक नवीनीकरण किया गया है। वर्ष 2007 के पश्चात् प्रार्थी के विरूद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ हैं। वर्ष 2007 के पश्चात् जब जब भी प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किया गया था तब तब नवीनीकरण के सम्बन्ध में पुलिस की रिपोर्ट ली गई थी उसके पश्चात् ही शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किया गया था उस समय पुलिस द्वारा नवीनीकरण नहीं किये जाने की सिफारिश क्यों नहीं की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.1.2020 में नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंसा की है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण से रोके जाने का कोई औचित्य नहीं है। हमारी राय में एक अनुज्ञा पत्र धारी का शस्त्र धारक बने रहने का मुख्य आधार उसका नेक चाल–चलन ही महत्वपूर्ण होता हैं । जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में प्रार्थी के खिलाफ मुकदमा दायर होना अकिंत है एवं उसका बरी होना भी अकिंत है। जिय मुकदमें का हवाला दिया गया है उस मुकदमे में लाईसैन्सी हथियार का दुरूपयोग नहीं किया गया है। ऐसा भी कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं आया जिससे यह जाहिर होता हो कि किसी संगीन अपराध का ऐसा कोई प्रकरण प्रार्थी के खिलाफ दायर हुआ हो अथवा उसमें सजा हुई हो। जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में भी लाईसेन्सी हथियार के दुरूपयोग अथवा किसी संगीन अपराध का भी हवाला नहीं किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करना एवं नवीनीकरण रोका जाना न्यायोचित नहीं है। यदि प्रार्थी द्वारा भविष्य में कभी लाईसेन्सी हथियार का दुरूपयोग कर कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति भंग करने का प्रयास करता हैं तो इसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही कर

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

सकते है। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण में चस्पा होती है। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प.1. (13)गृह–9/2006 दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (5.2.4) में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन के निस्तारण बावत निर्देश दिये गये हैं कि **"तदन्तर अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्र धारी के आचरण बावत संतुष्टि की जाकर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करेगा।"** राज्य सरकार के परिपत्र की पालना में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी श्री देवी सिहं पुत्र श्री मुरली सिहं जाति ठाकुर निवासी परसुपुरा तहसील राजाखेडा थाना मनियॉ जिला धौलपुर के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्य 18/68 को नवीनीकरण किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी श्री देवी सिहं पुत्र श्री मुरली सिहं जाति ठाकुर निवासी परसुपुरा तहसील राजाखेडा थाना मनियॉ जिला धौलपुर का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 18/68 को निरन्तर नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को दी जावे। पत्रावली फैसलशुमार हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.2.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर